न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— रामनिवास मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27 / 2022 **दायर दिनांकः 03.06.2022**

रजि0 नं0—2022 / 149

उनवान

1. ललिता बाई आयु 65 वर्ष पुत्री सुन्दरलाल जाति जांगिड़ (खाती) निवासी चितेश नगर कोटा जिला कोटा (राज.)
2. सुशीला बाई उम्र 62 वर्ष पुत्री रूपचन्द पत्नि गिरधारीलाल जाति जांगिड (खाती) निवासी महावीर कॉलोनी रंगपुर रोड़ कोटा जंक्शन जिला कोटा (राज०)
3. सुरेन्द्र आयु 57 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति जांगिड (खाती) निवासी हरिनगर कॉलोनी बस स्टेण्ड के पास झालावाड़ जिला झालावाड (राज०)
4. राजेन्द्र आयु 54 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति जांगिड (खाती) निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मगलपुरा झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज०)
5. साधना उम्र 52 वर्ष पुत्री रूपचन्द पत्नि रामावतार जाति जांगिड (खाती) निवासी रामद्वारा मगलपुरा झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज०)
6. अरविन्द आयु 50 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति खाती निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मगलपुरा झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज०)
7. कालूलाल आयु 78 वर्ष पुत्र मडीलाल जाति जांगिड (खाती) निवासी 153 (बी) बापू नगर आशाराम आश्रम के पास लखावा कोटा जिला कोटा (राज०)
8. संजय आयु 38 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति जांगिड (खाती) निवासी कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
9. मनीष आयु 35 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति जांगिड (खाती) निवासी कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
10. आशा आयु 32 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर पत्नि निर्मल कुमार जाति जांगिड (खाती) निवासी कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
11. पार्वती बाई पत्नि स्व० नन्दकिशोर जाति जांगिड (खाती) निवासी कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला बाई आयु 63 वर्ष पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन
2. कला आयु 65 वर्ष पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन
3. कुसुम आयु 68 वर्ष पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन
4. हुकमचन्द आयु 72 वर्ष पुत्र नेमीचन्द जाति महाजन निवासीगण नमक की मण्डी कल्याण भवन के पास उज्जैन जिला उज्जैन (म0प्र0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

उपस्थिति :–
प्रार्थीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन ।
अप्रार्थीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनांक 24/01/2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी–पूरी आशा है। ग्राम एवं माल कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में नेमीचन्द पुत्र लालचन्द जाति महाजन निवासी झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज०) के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 192 की ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे0, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे०, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे0, ख. नं. 833 का रकबा 0.01 हे०, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हेक्टर आराजीयात स्थित है जो खातेदार नेमीचन्द पुत्र लालचन्द का स्वर्गवास हो जाने के बाद में उसके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 के नाम नामान्तकरण संख्या 1157 दिनांक 20/04/2022 से विरासत में खाते दर्ज हो गई है। प्रार्थना पत्र के साथ में नकल नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 पेश है जो काबिल गौर है। उक्त आराजीयात के सेटलमेन्ट सम्वत् 2044 से पूर्व ख.नं. निम्न प्रकार से थे ख.नं. 732 का रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 907 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 908 का रकबा 10

बिस्वा, ख.नं. 909 का रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 906 का रकबा 5 बिस्वा, ख.नं. 904 का रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 905 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 32 बीघा 15 बिस्वा आराजीयात स्थित थी तथा उक्त ख.नं. के सन् 2012 के सेटलमेन्ट अर्थात सन् 2002 से 2011 तक ख.नं. निम्न प्रकार से थे खाता संख्या 244 का ख.नं. 1709/657 का रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 70/20 का रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 822 का रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 824 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 825 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 1971/826 का रकबा 11 बिस्वा, ख.नं. 1972/827 का रकबा 16 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 33 बीघा 8 बिस्वा स्थित थी। वाद पत्र के साथ में सम्वत् 2002 से 2077 तक का समस्त राजस्व रिकार्ड की नकले, मिलान क्षेत्रफल, मिलान खसरा सफाई तथा दिनांक 08/01/1943 को उक्त मद नम्बर 1 में दर्ज है वह खातेदार नेमीचन्द से प्रार्थीगण के पिताजी एवं दादाजी माधोलाल जांगिड (खाती) निवासी कुन्जैड़, चिरजी, सुन्दरलाल, मडया पिसरान माधोलाल जांगिड ने जमीन मुनाफा व ब्याज बराबर जोई थी। जिस रोज जमीन का रूपया दे देगें उसी रोज हमारा कुंआ व जमीन हमारे कब्जे में कर लेगें। उक्त तहरीर पर गांव के, समाज के पांच आदमियों के हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है–

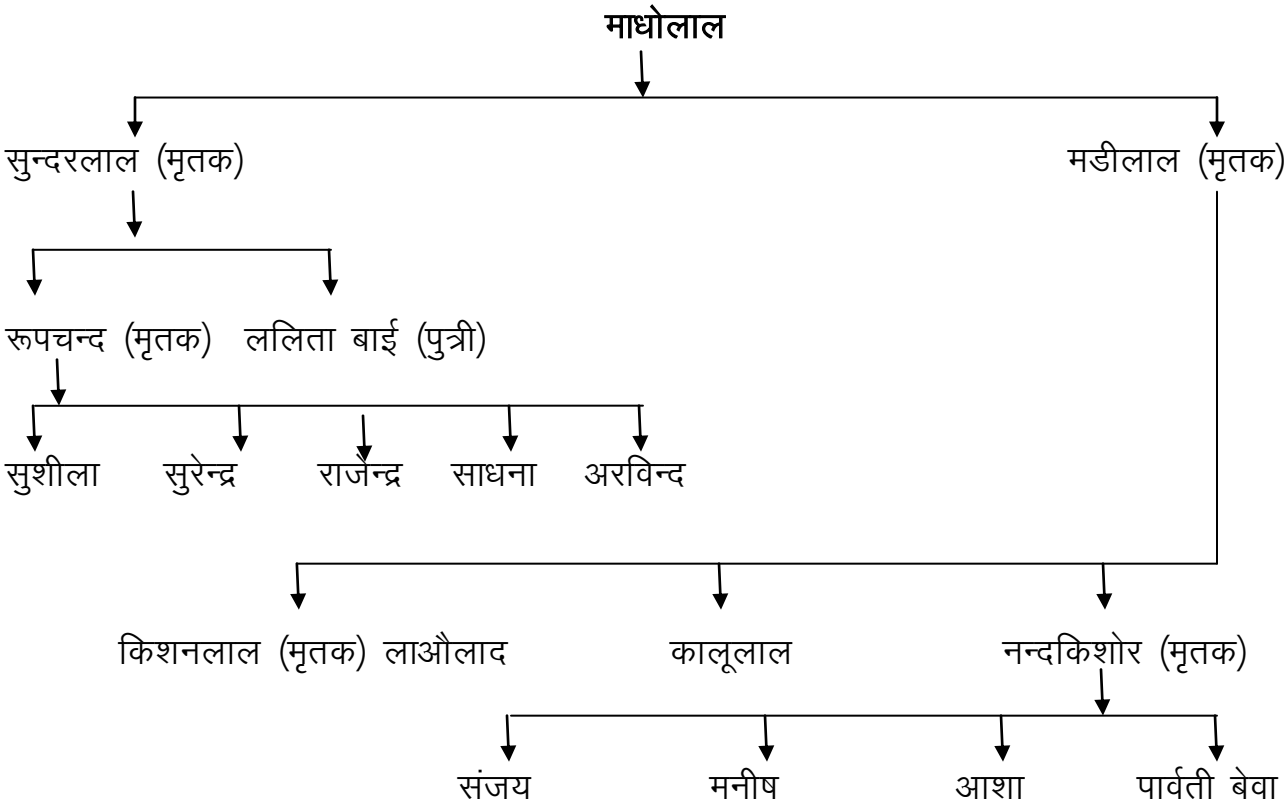

अप्रार्थीगण का सजरा

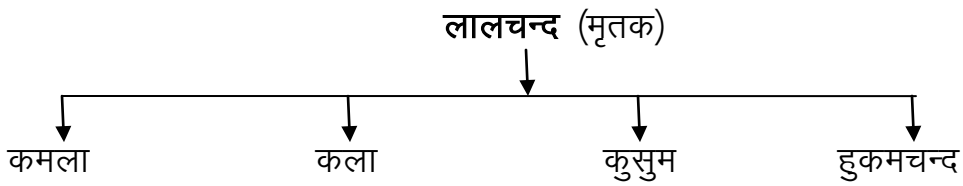

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात को प्रार्थीगण तथा उनके पूर्वज सन् 1943 से ही शान्तिपूर्वक लगातार बिना रोक टोक के आज दिन तक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण तथा उनके पूर्वक प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज आराजी पर सम्वत् 2002 से 2011 तक जेली काश्त दर्ज है। कब्जे काश्त को लेकर प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण तथा उनके पूर्वजों के मध्य कभी कोई विवाद नही हुआ है लेकिन आज के समय में अब अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 के मन में बेईमानी आ गई है और उनका राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से आराजी को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। उक्त आशय की धमकी अप्रार्थीगण ने जर्ये मोबाइल दिनांक 14/03/2022 को दी जबकि प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 के प्रभाव में आने से भी 12 वर्षों पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है। इस वजह से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 91, 19, 63, 92ए, के आधार पर और काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज आराजी के खातेदार कृषक बन चुके है। लेकिन अप्रार्थीगण जमीन खुर्द बुर्द, बेचान करने पर आमादा है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये और प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज आराजी को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द व जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज आराजी पर से अपने हक हकूको से प्राप्त अधिकारों से कब्जे काश्त से वंचित हो जावेगें। जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। इस वजह से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक आराजी खाता संख्या 192 की ख.नं. 633 का रकबा 3.40 हे0, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे0, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे0, ख.नं. 833 का

रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हेक्टर आराजी माल कुन्जैड़ तहसील अटरू को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द नही करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने की वजह से सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के पक्ष में है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक आराजी खाता संख्या 192 की ख.नं. 633 का रकबा 3.40 हे0, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे0, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे0, ख. नं. 833 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हेक्टर आराजी माल कुन्जैड़ तहसील अटरू को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द नही करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वाद पत्र पेश करना स्वीकार है शेष विवरण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में आराजी स्थित होना स्वीकार है शेष विवरण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में प्रार्थीगण का सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है अप्रार्थीगण सजरा स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 का जवाब बवक्त बहस मौखिक दिया जावेगा। अनुतोष प्रार्थीगण अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड की खाता संख्या 192 की ख.नं. 633 का रकबा 3.40 हे0, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे0, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे0, ख.नं. 833 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के दर्ज खाता स्थित है। जिसके अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 रिकार्डेड खातेदार है। नवीन जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 साथ में संलग्न है। अप्रार्थीगण के पिताजी एवं दादाजी ने कभी भी आराजी प्रार्थीगण को बेचान नहीं की बल्कि बाहर गांव रहने के कारण आराजी को मुनाफा काश्त पर जुपाते चले आ रहे थे। कानून के मुताबिक आराजी पर कब्जा काश्त खातेदार का ही माना जाता है। प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी पर हेसियत अतिक्रमी की है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा काश्त

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से 12 वर्ष पूर्व से कब्जा काश्त होने की बात मिथ्या व मनघढन्त अंकित की है। प्रार्थीगण ने झूठे एवं मनघढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी को खाते दर्ज करवाने के एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का प्रार्थीगण ने मुनाफा काश्त अप्रार्थीगण को इस वर्ष 2022 से देना बन्द कर दिया तथा आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया। उक्त घटना की रिपोर्ट अप्रार्थी क्रम 4 ने दिनांक 22.06.2022 को थाना अटरू में तथा उसके बाद पुलिस अधिक्षक महोदय बारां को दी है। जिसकी प्रति साथ में संलग्न है। वाके ग्राम कुन्जैड की खाता संख्या 192 का कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी पर प्रार्थीगण ने जबरन दादागिरी के बाल पर अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी पर से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 को दिलाया जावे।

अतः माननीय न्यायालय मे अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी क्रम 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम एवं माल कुन्जैड़ तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 192 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हेक्टर नेमीचन्द पुत्र लालचन्द के खाते दर्ज थी। उक्त आराजीयात के सेटलमेन्ट सम्वत् 2044 से पूर्व ख.नं. निम्न प्रकार से थे ख.नं. 732 का रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 907 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 908 का रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 909 का रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 906 का रकबा 5 बिस्वा, ख.नं. 904 का रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 905 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 32 बीघा 15 बिस्वा तथा उक्त ख.नं. के सन् 2012 के सेटलमेन्ट में खाता संख्या 244 का ख.नं. 1709/657 का रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 70/20 का रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 822 का रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 824 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 825 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 1971/826 का रकबा 11 बिस्वा, ख.नं. 1972/827 का रकबा 16 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 33 बीघा 8 बिस्वा दर्ज रिकार्ड थें।

ग्राम कुन्जेड की उक्त विवादित आराजी खातेदार नेमीचन्द द्वारा प्रार्थीगण के पिता एवं दादाजी से 200 रू उधार लेकर प्रार्थीगण के पिताजी एवं दादाजी माधोलाल जांगिड (खाती) निवासी कुन्जैड़, चिरजी, सुन्दरलाल, मडया पिसरान माधोलाल जांगिड को जमीन मुनाफा व ब्याज बराबर जुपवाई थी और कहा था कि जिस रोज जमीन का रूपया दे देगें उसी रोज हमारा कुंआ व जमीन हमारे कब्जे में कर लेगें।

खातेदार नेमीचन्द की मृत्यु हो जाने से उक्त विवादित आराजी उनके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज हुई है। प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी को सन् 1943 से लगातार कब्जा काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण विवादित आराजी को 12 वर्ष से अधिक समय से लगातार कब्जा काश्त होने से खातेदार कृषक हो चुके है। परन्तु उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी को खुर्द बुर्द/बैचान करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण के वर्षों से चले आ रहे हक व अधिकार से वंचित होना पडेगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम कुन्जैड की विवादित आराजी खाता संख्या 192 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हेक्टर को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द नही करें।

4. अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुऐ कथन किया कि ग्राम कुन्जैड की खाता संख्या 192 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण के पिताजी एवं दादाजी ने कभी भी आराजी प्रार्थीगण को बेचान नहीं की है केवल मुनाफा काश्त पर जुपाते चले आ रहे थे। कानून के मुताबिक आराजी पर कब्जा काश्त खातेदार का ही माना जाता है। प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी पर हेसियत मात्र एक अतिक्रमी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का 12 वर्षों से अधिक समय से शांतिपूर्ण कब्जा होना भी मनघढन्त कथन है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी को खाते दर्ज करवाने के एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने वर्ष 2022 मे जब आराजी का मुनाफा काश्त देना बन्द कर दिया तो उसकी रिपोर्ट अप्रार्थी क्रम 4 ने दिनांक 22.06.2022 को थाना अटरू में तथा उसके बाद पुलिस अधिक्षक महोदय बारां को दी है। ग्राम कुन्जैड की खाता संख्या 192 का कुल किता 5 का कुल

रकबा 5.31 है0 आराजी पर प्रार्थीगण ने जबरन दादागिरी के बल पर अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी पर प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

- हरजिन्दर कौर बनाम रीछपाल सिंह 23.01.2020 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।

6. उभयपक्षकारान की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा 200 रू के लेन देन संबंधी गवाहन की उपस्थिति में लिखवाई गई तहरीर पेश की है जिसके अनुसार नेमीचन्द पुत्र लालचन्द महाजन निवासी पाटन जिला झालावाड द्वारा आराजी को पेटे रखकर माधोलाल पुत्र सुन्दर लाल मडया निवाी कुन्जैड से 200 रू लेने का अंकन है जिस पर पांच गवाहन के हस्ताक्षर मौजूद है। ग्राम कुन्जैड की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074–77 अनुसार खाता संख्या 192 के ख0नं0 663 रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 834 रकबा 1.45 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.31 है0 आराजी नेमीचन्द पुत्र लालचन्द के दर्ज खाता थी जो नामान्तरण संख्या 1157 दिनांक 20.04.2022 से नेमीचन्द पुत्र लालचन्द के स्थान पर कमला पुत्री नेमीचन्द, कला पुत्री नेमीचन्द, कुसुम पुत्री नेमीचन्द, हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द का नामान्तरण प्रक्रियाधीन अंकित है। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम कुन्जेड के साबिक ख0नं0 732 रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा से नया ख0नं0 663 रकबा 3.40 है0, साबिक ख0नं0 807 मि0 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से नया ख0नं0 831 रकबा 0.26 है0, साबिक ख0नं0 808 रकबा 12 बिस्वा से नया ख0नं0 832 रकबा 0.18 है0, साबिक ख0नं0 806 रकबा 5 बिस्वा से नया ख0नं0 833 नकबा 0.01 है0 तथा साबिक ख0नं0 804 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा से नया ख0नं0 834 रकबा 1.45 है0 बनाये गये है। भू प्रबंध विभाग के खसरा सफाई प्रतिलिपी संवत 2013 से 2032 के अनुसार ख0नं0 732 खाता नं0 188 की आराजी नेमीचन्द पुत्र लालचन्द कौम महाजन सा. झालरा पाटन के दर्ज खाता स्थित है। तरमीम प्रतिलिपी संवत 2011 अनुसार ख0नं0 732 की 29 बीघा 7 बिस्वा आराजी नेमीचन्द पुत्र लालचन्द कौम महाजन सा. झालरा पाटन के दर्ज

खाता स्थित है। खसरा गिरदावरी संवत 2010 के अनुसार ख.नं0 709, 659, 1970/820, 821, 2157/822, 824, 825, 1364/827 दिनांक 11.04.1951 के अनुसार सुन्दरलाल मडीलाल जैली काश्त के रूप में दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वर्तमान में उक्त विवादित आराजी के खातेदार कृषक दर्ज नहीं है जबकि पेश जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 192 किता 5 रकबा 5.31 है0 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त विवादित आराजी के अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार कृषक है।

अप्रार्थीयों द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन निम्न प्रकार है–

- हरजिन्दर कौर बनाम रीछपाल सिंह 23.01.2020 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेरः– एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कराया जा सकता इस संबंध में अनेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। निगरानीकर्ता ने भी जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है वे पूर्णतया इस प्रकरण पर लागू होते है। अतः निगरानीकर्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत नहीं होता है। (पैरा संख्या 7)

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 ग्राम कुन्जैड की खाता संख्या 192 के ख0नं0 663 रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 834 रकबा 1.45 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.31 है0 की उक्त विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार कृषक होने से उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां